अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

जुबैदा पत्नी अलादीन बनाम फातमा व अन्य

किस्म मुकदमा–225 राज. काश्तकारी अधि. अपीलसंख्या 269/2022(अजमेर)

	श्री अमित कन्नोजिया अभिभाषक **जुबैदा बनाम फातमा व अन्य**	
15.09.2022	यह अपील श्री अमित कन्नोजिया एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 2/2022 में पारित आदेश दिनांक 14.01.2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई है। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपीलांट द्वारा पूर्व में एक अपील संख्या 149/2022 बउनवानी जुबैदा बनाम फाताम वगैरह प्रस्तुत की गई थी जिसमें मान्नीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2022 को निर्णित करते हुए प्रकरण को 30 दिवस में निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मान्नीय न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं किये जाने के कारण जानकारी से नियत समयावधि में अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया । पत्रावली वास्ते सुनवाई स्थगन प्रार्थना पत्र व अपील दिनांक 20.09.2022 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
20.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को अपील पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश अपील दिनांक 29.09.2022 को उपस्थित हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
29.09.2022	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 20.09.2022 को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा पूर्व में एक अपील संख्या 149/2022 बउनवानी जुबैदा बनाम फाताम वगैरह प्रस्तुत की गई थी जिसमें मान्नीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2022 को निर्णित करते हुए प्रकरण को 30 दिवस में निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे तथा प्रकरण में दिनांक 15.07.2022 को उभयपक्षों को न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया। जिसकी पालना में प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत मान्नीय न्यायालय के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की पालना करने को कहा गया किन्तु उनके द्वारा प्रकरण को निस्तारित नहीं किया गया है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से स्थगन आदेश दिनांक 14.01.2022 को आगे नही बढाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2022 को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 25.03.2022 नियत कर दी गई, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं कर एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 14.01.2022 को दिनांक 30.08.2022 तक बढ़ाया जा रहा हैं। सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर ने इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु को दरकिनार कर दिया की उनके समक्ष अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

वर्ष 2014 में उक्त वादग्रस्त आराजी को जरिये इकरार क्रय कर लिया तथा उक्त इकरारनामें के आधार पर अपीलांट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र उसके पक्ष में निष्पादित किये जाने के निवेदन करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 08 द्वारा व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उसमे असहमति जाहिर की किन्तु अपीलांट के हक को सुरक्षित करने की दृष्टि से एक मुख्त्यारनामा आम रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 08 द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 29.01.2019 को निष्पादित किया गया उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया, जिसका जवाब अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व था कि वह उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र पर निर्णय करते किन्तु उनके द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा पर कोई भी अंतिम आदेश पारित नहीं कर, प्रकरण को लंबित कर दिया जिससे अपने विधिक हक एवं अधिकार से महरूम होने की विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश एक पक्षीय है। जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 ए में यह प्रावधान है कि एक पक्षीय स्थगन दिये जाने पर उसका निस्तारण 30 दिवस में किया जाना चाहिए, किन्तु उक्त विधिक प्रावधानो के विपरीत जाते हुए विगत 07 वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी एक रिकार्डे खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर रखा है, जो विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तो के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में निहित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 14.01.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.06.2022 को निर्णित करते हुए प्रकरण को 30 दिवस में निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। किन्तु उक्त दिशा निर्देश के बावजूद भी प्रकरण को लंबित कर रखा तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश एक पक्षीय है। जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 ए में यह प्रावधान है कि एक पक्षीय स्थगन दिये जाने पर उसका निस्तारण 30 दिवस में किया जाना चाहिए, किन्तु उक्त विधिक प्रावधानो के विपरीत जाते हुए विगत 07 वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी एक रिकार्डे खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर रखा है, जो विधि सम्मत नही है।अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर को पुनः प्रकरण प्रतिप्रेषित कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसद देते हुए, प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करते हुए निर्देश किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है वों प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसद देते हुए, प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करते हुए निर्देश दिये जाते है। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर